संख्या–986/33–3–2022–11/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः20 मई, 2022

पंचायती राज अनुभाग–3

विषयः– ग्राम पंचायतों में ई–ग्राम स्वराज पर योजनाओं को अपलोड किए जाने, कार्य के उपरान्त बाउचर आदि फीड किए जाने एवं भुगतान हेतु डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल) किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

शासन द्वारा प्रदेश की समस्त 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की जा रही है। इन ग्राम सचिवालयों में कम्प्यूटर व इण्टरनेट की व्यवस्था भी उपलब्ध करायी जा रही है। ग्राम सचिवालय पूरी सक्रियता के साथ काम कर सकें, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति भी की गयी है/की जा रही है। शासन के संज्ञान में आया है कि जी0पी0डी0पी0 की योजना अपलोड करने, वर्क आई.डी. जनरेट करने, कराए गए कार्यों के बाउचर आदि फीड करने व भुगतान हेतु ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल) लगाने हेतु ग्राम सचिवालयों में बनायी गयी व्यवस्था का उपयोग करने के स्थान पर साईबर कैफे/विकास खण्ड/जनपद स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम से उपरोक्त कार्य किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि सभी ग्राम पंचायतें जहाँ कम्प्यूटर व इण्टरनेट आदि की व्यवस्था ग्राम सचिवालय में की जा चुकी है एवं पंचायत सहायक कार्यरत हैं वहाँ कम्प्यूटर व इण्टरनेट की व्यवस्था करने की तिथि अथवा पंचायत सहायक की तैनाती की तिथि (जो भी बाद में हो) अथवा दिनांक 01.06.2022 के उपरान्त उपरोक्त वर्णित सभी कार्य ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर सिस्टम से पंचायत सहायक के माध्यम से ही किया जाएगा।

2– पंचायती राज निदेशालय स्तर पर तैनात कन्सल्टेन्ट, जो केन्द्रीय वित्त आयोग, (श्री रत्नेश श्रीवास्तव) राज्य वित्त आयोग, (श्री अभिषेक मल्ल) व स्वच्छ भारत मिशन (श्री अक्षय पटेल) का कार्य देख रहे हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 01.06.2022 के उपरान्त इस आदेश का अनुपालन जिस ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में सूचना तत्काल निदेशक, पंचायती राज को उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, पंचायती राज प्रत्येक बुधवार को ऐसे प्रकरणों की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे। यह उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि प्रस्तावित व्यवस्था से इतर किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा जी0पी0डी0पी0 योजना अपलोड करने, वर्क आई.डी. जनरेट करने, बाउचर अपलोड करने अथवा भुगतान हेतु डिजिटल सिग्नेचर (डोंगल) के लिए ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर के अलावा किसी अन्य कम्प्यूटर का इस्तेमाल न किया जाए। ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर का आई.पी.

एड्रेस सी–3 द्वारा एकत्रित किया गया है, उनसे यह प्राप्त कर लिया जाए और आगे ग्राम सचिवालयों में लगने वाले कम्प्यूटर सिस्टम की भी आई.पी. एड्रेस की सूचना राज्य स्तरीय डेटावेस में रखा जाए एवं ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे भुगतान के लिए प्रयोग किए जा रहे कम्प्यूटर आई.पी. को इससे लगातार मैच किया जाए।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

Manoj 20.5.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक– तैदव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने जनपदों की सभी ग्राम पंचायतों में इस व्यवस्था को लागू कराना सुनिश्चित करेंगे एवं 01.06.2022 के पश्चात् इन निर्देशों का अनुपालन न होने की दशा में कठोर कार्यवाही की जाएगी।
4. श्री रत्नेश श्रीवास्तव, कन्सल्टेंट, श्री अभिषेक मल्ल, कन्सल्टेंट, श्री अक्षय पटेल, कन्सल्टेंट, पंचायत राज निदेशालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।